कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : छत्तीसगढ़ विकास यात्रा समापन

छत्तीसगढ़ लगाएगा विकास के चौके-छक्के 6

संसद में बहस

लोकसभा

रुपए का अवमूल्यन : **सुषमा स्वराज** 12

भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक : **राजनाथ सिंह** 13

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक : **डॉ. मुरली मनोहर जोशी** 15

राज्यसभा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक : **अरुण जेटली** 16

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक : **वेंकैया नायडू** 18

लेख

दूसरों पर आरोप मढ़ना हल नहीं है, प्रधानमंत्री जी!
– **डॉ. शिव शक्ति बक्सी** 21

पुस्तक समीक्षा : जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानी
– **अम्बा चरण वशिष्ठ** 25

अन्य

सिक्किम में त्रिदिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर 19

राजस्थान : सुराज संकल्प महासम्मेलन 20

दिल्ली : काउण्टर रिपोर्ट जारी 21

अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी बैठक 28

विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ कार्यकारिणी बैठक 28

कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ कार्यकारिणी बैठक 29

पूर्वोत्तर भारत सम्पर्क प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को

ओणम

की हार्दिक शुभकामनाएं!

एक व्यक्ति-अनेक रूप

एक बार एक ठंडी रात को प्रेस के कम्पोजिटर अपनी ड्यूटी पर नहीं आये। उनके न आने से समाचार-पत्र को समय पर निकालना कठिन प्रतीत होने लगा। जब दीनदयालजी को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने तुरन्त प्रेस में जाकर कम्पोजिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया और वे रात भर खड़े हो कर कम्पोजिंग करते रहे। उनका बराबर यह प्रयत्न रहा कि समाचार-पत्र पाठकों के हाथों में उचित समय पर पहुंच जाए। उस समय वे राष्ट्र-धर्म प्रकाशन के मैनेजिंग-डायरेक्टर थे। लेकिन प्रेस का छोटे से छोटा कोई भी काम वे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध नहीं मानते थे। एक बार जब प्रेस में कर्मचारियों की कमी थी, तब वे एक चटाई पर बैठकर समाचार-पत्र के बंडल बनाने से लेकर उन पर ग्राहकों के नाम और पते लिखते रहे।

कोई भी कठिनाई उनके उत्साह को भंग नहीं कर पाती थी। एक बार रात्रि में बिजली चली गई, जिसके कारण समाचार-पत्र के समय पर न निकल पाने की आशंका उत्पन्न हो गई। समाचार-पत्र के विलम्ब से प्रकाशित होने पर सम्पादक की एक क्षमा-याचनापूर्ण पंक्ति यद्यपि पर्याप्त होती लेकिन उपाध्याय जी इससे संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों से ही मशीन को चलाया और समय पर समाचार-पत्र को मुद्रित करने में सफल हुए।

- बचनेश त्रिपाठी

('पं. दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति-दर्शन' से साभार)

व्यंग्य चित्र

संपादकीय

फाइलों का गायब होना यूपीए की साजिश

कोयला घोटाले की फाइलें गायब कर दी गई। देश में संसद से लेकर हर गांव के चौपाल पर आम चर्चा है, ''यह कैसी यूपीए की कांग्रेसनीत सरकार है।'' घोटालों के उजागर होने के बाद मंत्रालय या विभाग सबसे पहले साक्ष्य समेटती है। जांच एजेंसी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेती है। फिर कोयला घोटाले में तो सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में फाइलों का गायब होना सामान्य घटना नहीं है। उन गायब फाइलों में निश्चित ही वे साक्ष्य हो सकते हैं जिनसे देश की राजनीति में भूचाल आ जाए। लोग कह रहे हैं कि ये फाइलें गायब नहीं बल्कि गायब करवाई गई है। संदेह की सूई केन्द्र की कांग्रेस सरकार की ओर ही जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष खासकर भाजपा की मांग पर प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जो सफाई दी है, वह उनको स्वयं ही संदेह के घेरे में लाती है। यहां यह स्पष्ट करना अच्छा ही होगा कि जब सरकार स्वयं 'खो' 'गुम' या जनता के बीच से गायब हो जाती है तो फिर इसी तरह फाइलें गुमा दी जाती है। अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या फाइलें गायब करने का साहस चपरासी कर सकता है या फिर वे अधिकारी जिनके अन्तर्गत ये फाइलें थीं? आखिर उन फाइलों की जानकारी किसे थी? उनमें जो विषय या साक्ष्य है, वह किसे मालूम था? क्या ऐसे राज सामान्य अधिकारियों को पता था या किसी मंत्री को या सचिव को? प्रधानमंत्री क्या इस मसले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो फिर एफआईआर क्यों नहीं? सात दिन हाथ से क्यों निकल जाने दिए गए? क्या प्रधानमंत्री की नजरों में कोयला घोटाले की संवेदनशीलता तनिक भी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की नजरों में सर्वोच्च न्यायालय का कोई महत्व नहीं है? ऐसी लापरवाही क्यों?

प्रधानमंत्री राज्य सभा में कहते हैं कि अभी ये कैसे मान लें कि फाइलें गायब हैं? क्या प्रधानमंत्री देश की जनता को और संसद के दोनों सदनों को नकारा मानते हैं? देश इस मसले पर बहुत गंभीर है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को, जो लोग समर्थन दे रहे हैं, वे भी बच नहीं सकते। देश को यह जानकारी है कि इन सभी घोटालों में सरकार को कौन बचा रहा है। अत: कालिख उनके मुंह पर भी पुतेगी।

प्रधानमंत्री के राज्य सभा में बयान से यह लगा कि पुलिस कहीं उनके पीछे तो नहीं है? जबकि ऐसा था नहीं पर प्रधानमंत्री का 'एक्शन' इसी तरह का हो रहा था।

प्रधानमंत्री देश का गौरव और स्वाभिमान होता है। वह निर्वाचित भले ही किसी पार्टी से हो पर वह प्रधानमंत्री तो सभी का होता है। प्रधानमंत्री तिरंगे की, सीमा की, संविधान की, संसद की और भारतीयों की आन-बान-शान के रक्षक होते हैं। वे लालकिले की प्राचीर के गौरव होते हैं। शायद डॉ. मनमोहन सिंह यह सब भूल गए हैं। निज गौरव में और जन-गण-मन के गौरव में जमीन आसमान का अंतर होता है। उन्हें गौरव शून्य और स्वाभिमान शून्य नहीं होना चाहिए। दृढ़ता उनकी पहचान होनी चाहिए। चोर सरकार को चुरा ले तो फिर ऐसी सरकार को सरकार कहेंगे या ''सड़ी बुझी रही सरकार''।

केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सड़ रही सरकार है और अब इसे ज्यादा दिनों तक सड़ने देना यह देश के साथ न्याय नहीं होगा। अत: आएं हम सब मिलकर इस सड़ी-बुझी रही सरकार को लोकतांत्रिक पद्धति से जन-सर्जरी कर राष्ट्र को बचाएं। ■

छत्तीसगढ़ लगाएगा विकास के चौके-छक्के : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के तीव्र विकास को देखकर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में यह नया राज्य विकास के हर क्षेत्र में चौके और छक्के लगाकर देश-विदेश में अपनी कामयाबी के परचम लहराएगा।

श्री सिंह 07 सितम्बर 2013 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा राजस्व संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी लगभग छह हजार किलोमीटर की विकास यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर लगभग सवा लाख से डेढ़ लाख लोगों के विशाल जनसैलाब को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी सम्बोधित किया। तीनों वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को विनम्रता से याद किया।

इस मौके पर श्री राजनाथ सिंह ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि अम्बिकापुर की यह विशाल जनसभा वास्तव में जनसमुद्र की तरह है। श्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यक्रमों और किसानों, मजदूरों तथा गरीबों के हित में शुरू की गयी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी प्रशंसा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। विगत साढ़े नौ साल में डॉ. रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से राज्य को विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। इस अवधि में उन्होंने राज्य की जनता के लिए क्या-क्या नहीं किया? समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों के लिए योजनाओं की शुरूआत की। श्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से गरीबों के लिए एक रूपए और दो रूपए किलो में चावल, पांच रूपए किलो में चना और दस रूपए किलो में दाल वितरण की योजना का उल्लेख किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज तो बाजार में दाल भी 70 रुपए से 90 रुपए किलो में बिक रही है। ऐसे में रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों को सिर्फ पांच रूपए किलो में दो किलो और दस रूपए किलो में दो किलो दाल देने का दायित्व सम्हाला है। देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ ने बनाया है। छत्तीसगढ़ आज डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है,

उसे देखकर यह विश्वास किया जा सकता है कि निकट भविष्य में यह नया राज्य विकास के मामले में जोरदार चौके और छक्के लगाकर देश-विदेश में अपने परचम लहराएगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अगले पांच वर्ष देश के इस नये राज्य के लिए नयी ताकत के साथ आगे बढ़ने के वर्ष होंगे। इन पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ विकास की नयी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये पांच वर्ष छत्तीसगढ़ को नयी ताकत देंगे। इसकी तरूणाई को खिलने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि वास्तव में लोकतंत्र में सरकारों के लिए राष्ट्र धर्म ही एकमात्र धर्म होता है। भारत का संविधान ही उसकी पहली भक्ति होती है। सवा सौ करोड़ देशवासियों के सुख-दु:ख का ध्यान रखना उसकी पहली पूजा होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की सरकार लोकतंत्र की इन कसौटियों पर खरी उतरी है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ऐसी अदभुत आम सभा वह पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के लाखों गरीबों को मात्र एक रुपए और दो रुपए किलो में हर महीने 35 किलो चावल, दो किलो नि:शुल्क नमक वितरण की योजना वर्ष 2008 में जब शुरू हुई थी, उस समय मुझे भी इस पवित्र कार्य के शुभारंभ के लिए छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य मिला था। डॉ. रमन सिंह चाऊंर वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केन्द्र सरकार को इसे अपनाने की सलाह दी थी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश के किसी भी राज्य में होने वाली अच्छी बातों को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने भी छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तारीफ सुनकर इसे अपने राज्य में लागू करने की मंशा से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को गुजरात आमंत्रित किया था और उनसे छत्तीसगढ़ की इस वितरण प्रणाली के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की थी। इतना ही नहीं बल्कि मैंने गुजरात के अधिकारियों को भी इसके अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ भेजा था और मैंने स्वयं लगभग दो महीने तक छत्तीसगढ़ के पीडीएस का बारीकी से अध्ययन किया था। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के लिए एक आदर्श वितरण व्यवस्था हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केन्द्र सरकार को इसे अपनाने की सलाह दी थी। मैंने भी छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तारीफ सुनकर इसे अपने राज्य में लागू करने की मंशा से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को गुजरात आमंत्रित किया था और उनसे छत्तीसगढ़ की इस वितरण प्रणाली के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की थी। इतना ही नहीं बल्कि मैंने गुजरात के अधिकारियों को भी इसके अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ भेजा था और मैंने स्वयं लगभग दो महीने तक छत्तीसगढ़ के पीडीएस का बारीकी से अध्ययन किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आम सभा में श्री राजनाथ सिंह और श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनका स्वागत किया। डॉ. रमन सिंह ने आम सभा को सम्बोधित करते हुए आज समाप्त हुई प्रदेश व्यापी विकास यात्रा की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दन्तेवाड़ा से शुरू हुई लगभग छह हजार किलोमीटर की यह यात्रा सात चरणों में सम्पन्न हो रही है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में हजारों की संख्या में युवाओं, बुजुर्गों, मजदूरों, किसानों और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अपनी भागीदारी निभायी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लगभग 29 दिनों की इस यात्रा में मुझे एक ऐसा नया छत्तीसगढ़ देखने को मिला, जिसमें विकास की एक नयी सोच है और जिसके युवाओं में सुनहरे भविष्य की चमक है। उन्होंने कहा कि दस वर्ष पहले मैंने छत्तीसगढ़ को चावल की कमी से और कुपोषण से जूझते देखा था, लेकिन विकास यात्रा में मैंने भूख से मुक्त और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ देखा। एक नये छत्तीसगढ़ का उदय होते देख रहा हूं। अब तेरह साल का हो गया हमारा छत्तीसगढ़। यह अब गर्व और स्वाभिमान के साथ देश के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दस वर्ष पहले मेरी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ की धरती पर एक भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए और जिस राज्य में कोई भूखा सोये तो वहां के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ को अपने 42 लाख

शेष पृष्ठ 11 पर

भाजपा ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखा

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, सरकार के प्रति नाराजगी, ठीक से काम नहीं करने और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध का सामना कर रही यूपीए सरकार ने पहले तो मॉनसून सत्र की अवधि कम करके बचने का रास्ता ढूंढा। उसकी रणनीति महज सरकार के कुछ प्रमुख विधेयकों को पारित कराना और सार्वजनिक हित से जुड़े उन अन्य मुद्दों के लिए बहुत कम समय छोड़ना था, जिन पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता था। सरकार का यह कदम सफल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी (यूपीए सरकार नहीं) ने मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले पृथक तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले की घोषणा कर दी। उसकी इस घोषणा की छाया इस सत्र में दिखना लाजमी था। वास्तव में वही हुआ। भाजपा ने सत्र में तेलंगाना का मुद्दा उठाया और यूपीए के संपूर्ण कुप्रबंधन को उजागर किया। भाजपा पृथक राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन का पूरी तरह समर्थन करती है। भाजपा को अच्छा लगता अगर तेलंगाना के गठन के लिए एक विधेयक मॉनसून सत्र में लाया जाता। भाजपा ने तेलंगाना के बारे में विचार-विमर्श के दौरान बताया कि एनडीए के शासनकाल में गठित तीन राज्यों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से गठन किया गया, उस समय और हाल में तेलंगाना के बारे में सरकार की घोषणा में क्या अंतर है। तीन राज्यों के गठन के समय एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ जबकि तेलंगाना के गठन को लेकर यूपीए के कार्यकाल में अफरा-तफरी देखने को मिली।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का संसद के मानसून सत्र- 2013 की समाप्ति पर 7 सितम्बर 2013 को दिया गया बयान

भाजपा ने यूपीए की गलतियों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में संसद का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। अत: हम संसद का इस्तेमाल अधिकतम बहस और चर्चायें करके करना चाहते थे।

विचार-विमर्श

अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। रूपया दिनोंदिन कमजोर हो रहा है। विकास दर कम हो गई है। निवेश घट रहा है, यूपीए सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गई है, समस्या का हल करने के लिए वह 'बाहरी कारकों' पर मुख्य रूप से निर्भर है। अर्थव्यवस्था की बदइन्तजामी पर, यूपीए की विफलताओं को सामने लाने के लिए पार्टी ने संसद का इस्तेमाल किया। अर्थव्यवस्था की स्थिति, अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अनिच्छा से बयान देना पड़ा और संसद के प्रश्नों का सामना करना पड़ा।

भाजपा ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई बड़ी गलतियों को सबसे आगे आकर उजागर किया। इस सत्र की विशेषता यह रही कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले पर कई बार चर्चा हुई, जबकि गायब कोयला फाइलों को लेकर सरकार की असलियत अच्छी तरह से सामने आई। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में मनमाना, भाई-भतीजावाद, राजस्व का नुकसान

और भ्रष्टाचार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, मीडिया और जनमत ने इस मामले की विस्तार से जांच की है, 2006-09 की अवधि के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई। फाइलों का गायब होना सबूतों को नष्ट करने का प्रयास है। भाजपा ने संसद के दोनों सदनों में सरकार से जवाब मांगा और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री इस विषय में कुछ बताएं। लेकिन यह खेद का विषय है कि न तो मंत्री और न ही प्रधानमंत्री के पास इस का कोई संतोषजनक उत्तर था।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में मनमाना, भाई-भतीजावाद, राजस्व का नुकसान और भ्रष्टाचार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, मीडिया और जनमत ने इस मामले की विस्तार से जांच की है, 2006-09 की अवधि के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गईं। फाइलों का गायब होना सबूतों को नष्ट करने का प्रयास है।

भाजपा ने उत्तराखंड त्रासदी और राहत कार्यों में राज्य सरकार की अनदेखी का मुद्दा भी विशेष चर्चा के जरिए संसद के दोनों सदनों में उठाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जान-माल को लेकर सरकार की बेरूखी को उजागर किया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारे सैनिकों की हत्या, चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी और बिहार राज्य द्वारा असहयोग जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे भाजपा ने उठाए। इस सत्र ने संसद का भी ध्रुवीकरण कर दिया। एक तरफ सरकार के कड़े आलोचक और दूसरी तरफ सरकार के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थक थे।

विधेयक

इस सत्र में सरकार अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधेयक लाने की इच्छुक थी। भाजपा ने विधेयकों के मामले में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाई। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक** के मामले में पार्टी ने व्यापक जनहित में उपायों का समर्थन करते हुए, इस विधेयक को और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ संशोधनों पर जोर दिया। उसने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि न तो खाद्य सुरक्षा के लिए वित्तीय खर्च बढ़ाया जाए और न ही इसकी पहुंच क्योंकि इसके लाभान्वितों की संख्या बढ़नी चाहिए। पार्टी ने इस बात पर भी विशेष रूप से गौर किया कि कुछ कमजोर वर्ग जैसे - बीपीएल श्रेणी, के लिए सब्सिडी युक्त भोजन की मात्रा, जिसके वे हकदार हैं, कम हो जाएगी और उनसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अनेक मौलिक योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों की कीमतों की तुलना में अधिक कीमत वसूली जाएगी।
- **भूमि अधिग्रहण :** भाजपा उन किसानों के लिए मुआवजे भूमि अधिग्रहण की राशि को बढ़ाने का समर्थन करती है, जिनकी जमीनों का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। पार्टी ने किसानों को अधिक मुआवजा देने के सिद्धांत पर विधेयक का समर्थन किया। हालांकि पार्टी किसानों के व्यापक हितों और आर्थिक विकास की जरूरतों के बीच संतुलन चाहती है। अत: पार्टी ने सदन में अनेक संशोधनों के सुझाव दिए, जिससे किसानों के हितों के प्रति अधिक उदारता के साथ बुनियादी ढांचा, उद्योग, सिंचाई परियोजना का विकास होता रहेगा।
- **पीएफआरडीए विधेयक :** भाजपा ने पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए विधेयक : और विकास प्राधिकरण विधेयक को पारित कराने का समर्थन किया, क्योंकि इस महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण की अवधारणा मूल रूप से एनडीए सरकार की थी। पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत रखी जाए, जबकि यूपीए एक ही बार में इसे बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना चाहती थी। यह वित्तीय क्षेत्र में असंशोधित उदारीकरण की एनडीए की नीति से मेल खाता है।
- पार्टी ने सामाजिक कल्याण के अनेक विधेयकों जैसे- रेहड़ी पटरीवालों, सिर पर मैला ढोने वालों के संबंध में विधेयकों का समर्थन किया। पार्टी इस बात के खिलाफ थी कि राजनीति और

शेष पृष्ठ 11 पर

भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन

देश की आर्थिक बदहाली के लिए नया जनादेश अनिवार्य : भाजपा

गत 30 अगस्त 2013 को देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर पड़े भारी संकट को लेकर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की, इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज तथा राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली शामिल थे। हम इस ज्ञापन का हिन्दी भावानुवाद नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :-

आदरणीय राष्ट्रपतिजी,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
महोदय,

भारतीय जनता पार्टी के संसद-सदस्यों की ओर से, हम यह ज्ञापन आपको सौंप कर आज की भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़े असाधारण संकट से अवगत कराना चाहते हैं। यू.एस. डालर के खिलाफ निरंतर गिर रही रुपए की गिरावट तो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था में छाई घोर बीमारी का मात्र प्रतीक भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत सरकार की लापरवाह नीतियों के कारण बर्बाद हो गई है। भारतीय राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम को 2008-09 में खिड़की के बाहर फेंक दिया गया था। सरकार के राजकोषीय घाटे को तत्कालीन वित्तमंत्री, जो आज फिर से वित्तमंत्री पद पर है, चिरघातांकी रूप से उस वर्ष जीडीपी के 2.5 प्रतिशत से जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ जाने दिया और राजस्व घाटा भी 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत तक जा पहुंचा। 2009-09 में आडम्बरपूर्ण व्यय, जो अधिकांशत: निवेशयुक्त व्यय न होकर खपत व्यय था, वर्तमान संकट के लिए पूर्णत: उत्तरदायी हैं राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा तभी से हर आए साल निरन्तर 'असंपोषणीय' स्तर पर बना रहा है। वाह्य मोर्चे पर दिखाई गई बुरी तरह की लापरवाही से चालू खाता घाटा भी बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले चार वर्षों से खुदरा मुद्रास्फीति दो अंकों पर टिकी है। ब्याज दरें अस्वीकार्य स्तर तक बढ़ाई गई है जिससे निवेश में बेहद गिरावट आई है। इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। जिसके कारण 2012-13 की विकास दर घट कर 5 प्रतिशत रह गई है। विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि यह विकास दर चालू वर्ष में 4 प्रतिशत से नीचे ही रहेगा।

विदेशी मुद्रा बाजार और विदेशी स्टॉक मार्केट में अत्यंत खलबली का माहौल है। एक ही दिन में डालर के मुकाबले रुपए की कीमत 3 प्रतिशत से अधिक गिर गई है। देश में हताशा और बर्बादी का वातावरण फैला हुआ है। इन सभी घटनाओं के असहनीय परिणामों को सोच कर हमें कंपकपी महसूस होती है कि आखिर आम आदमी का क्या होगा? पहले ही यह बात फैली हुई है कि चालू संसद सत्र की समाप्ति पर डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो जाएगी।

भारत सरकार ने पहले की तरह ही इससे इंकार किया है। इससे संतुष्ट न होकर, यह सरकार अपने को छोड़कर चालू संकट के लिए सभी व्यक्तियों को दोषी ठहराती है। सरकार विपक्ष, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और ग्लोबल फैक्टर्स पर आरोप मढ़ती रहती है। तब तो गैर-जिम्मेदारी की इंतहा हो गई जब वित्त मंत्री ने इस संकट के लिए अपने से पूर्व के वित्त मंत्री को दोषी ठहरा दिया और प्रधानमंत्री मौन धारण किए रहे। महोदय, आज अर्थव्यवस्था और देश पर छाया संकट प्रमुख रूप से विश्वसनीयता का संकट है। आज हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो कोई फैसला नहीं ले पाती, न ही किसी प्रकार का नेतृत्व दे पाती, या न ही भविष्य में कोई उम्मीद नजर आती है। यह हर तरफ से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक भी संदेह करती है कि यह सरकार फंसे अपराधियों की फाइलों को गायब कर साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश में है।

आज देश इस समय ऐसी सरकार के संकट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो पूरी तरह से पंगु हो, जिसका प्रधान कभी भी बोलता ही न हो, जिसका वित्त मंत्री अपने से पूर्व के वित्त मंत्री पर, जो स्वयं का बचाव करने की स्थिति में

नहीं है, गलत आरोप लगाता हो, जिसके सुप्रीम नेता को इस बात की जरा परवाह न हो कि पैसा कहां से आएगा और जिसकी ब्यूरोक्रेसी जड़ीभूत हो और कुछ भी काम करने में असमर्थ हो। इस सरकार के मंत्रीगण बेलगाम हैं और एक-दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच, विशेष रूप से गैर-यूपीए शासित राज्यों के साथ और विपक्षी दलों के साथ तानाशाही वाले सम्बन्ध हैं। अत:, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सरकार को नया जनादेश प्राप्त करने के लिए कहें और यह समय अगले तीन माह में होने वाले राज्य चुनावों से अधिक नहीं होना चाहिए।

धन्यवाद

भवदीय

लालकृष्ण आडवाणी,	**राजनाथ सिंह**	**सुषमा स्वराज**	**अरुण जेटली**
(अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल)	(अध्यक्ष, भाजपा)	(लोकसभा में विपक्ष की नेता)	(राज्यसभा में विपक्ष के नेता)

पृष्ठ 7 का शेष...

गरीब परिवारों के लिए देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून बनाने का श्रेय मिला है। गरीबों के लिए एक रूपए और दो रूपए किलो चावल और नि:शुल्क नमक वितरण की योजना हम लगभग साढ़े वर्षो से सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी यह विकास यात्रा जनता के दरबार में जाकर जनता को विनम्रता पूर्वक अपने पांच वर्ष के कार्यकाल हिसाब देने के लिए आयोजित की गयी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विगत पांच वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता से किए गए अपने हर वायदे को पूरा किया है और भविष्य में भी जनता की सेवा के अपने हर संकल्प को हम विनम्रतापूर्वक पूर्ण करने की दिशा में जनता को साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। डॉ. रमन सिंह ने विकास यात्रा में जनता से प्राप्त भरपूर सहयोग और समर्थन के लिए प्रदेशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

विशाल जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, गृह, जेल और सहकारिता मंत्री श्री ननकी राम कंवर, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री श्री रामविचार नेताम, कृषि और श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू, आवास और पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल, संसदीय सचिव श्री सिद्धनाथ पैकरा, लोकसभा सांसद श्री मुरारीलाल सिंह और राज्यसभा सांसद श्री शिवप्रताप सिंह, श्री नन्द कुमार साय सहित अन्य अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ■

पृष्ठ 9 का शेष...

सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों की अधिक जवाबदेही के लिए जल्दबाजी में विधेयक लाया जाए। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के सरकार के विधेयक के दायरे से राजनीतिक दलों को अलग रखने, साथ ही दोषी सांसदों को संसद में भाग लेने की अनुमति देने के संबध में विस्तार से विचार-विमर्श की जरूरत है। इसकी वैधानिकता में संदेह को देखते हुए पार्टी ने चाहा कि इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए। न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में भाजपा का स्पष्ट मत है कि जहां तक ऐसे आयोग की जरूरत का प्रश्न है, इस तरह के गंभीर विषय पर सही ढंग से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। सरकार संवैधानिक संशोधन के जरिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का जल्दबाजी में गठन करना चाहती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियां कम हो सकती हैं और रूक सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के वैकल्पिक तंत्र का गठन स्थायी समिति के समक्ष अभी भी लम्बित है। भाजपा का मानना है, चूंकि लोकसभा ने संविधान संशोधन की मंजूरी नहीं दी है, सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और इसे विचार-विमर्श और सुधार के लिए संसद की समिति के पास भेज देना चाहिए, ताकि यह जल्द से जल्द संसद के समक्ष विचार के लिए आ सके।

भाजपा इस सत्र को संतोष की दृष्टि से देखती है। सांसदों ने सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को समर्थन और उनमें संशोधन वाले सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उजागर करने के लिए ओवर टाइम किया। पार्टी का मानना है कि उसने अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाई। उसने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखा। ■

यूपीए अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं : सुषमा स्वराज

गत 29 अगस्त 2013 को लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ–

अभी परसों ही इस सदन में, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी और उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जी ने एक लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया था। उन्होंने अपनी ओर से दस कदम गिनाए थे और यह कहा था कि अगर इन दस कदमों को अमलीजामा पहनाएं, तो अर्थव्यवस्था उभर सकती है। चाहिए तो यह था कि वित्त मंत्री के उस बयान के बाद देश का विश्वास बढ़ता, निवेशकों का हौसला बढ़ता और रुपए चाहे दस-बीस पैसे ही सही, चढ़ता और अगर चढ़ता नहीं, तो कम से कम गिरने से रुकता, लेकिन अध्यक्ष जी, हुआ इसके एकदम विपरीत। कल सेंसेक्स के लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलते-फिसलते रात को 68.89 रुपए पर आकर रुका। कल तो टीवी चलाने से डर लग रहा था क्योंकि हर आधे घण्टे बाद दस पैसे गिर जाते थे, पचास पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। मुझे दुख है इस बात का कि वित्त मंत्री जी ने बोलते हुए जो कारण बताए, उन कारणों के आधार पर उनका निष्कर्ष यह था कि चूंकि पॉलिटी डिवाइडेड है, इसलिए अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विपक्ष पर डिवीजन लगाने से पहले जरा अपने घर की तरफ देखिए। कारण यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं है, सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी एकमत नहीं है। बहुत सी चीजों को करने के लिए जहां विपक्ष ने सहमति दी है, वे भी सरकार इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि कैबिनेट से उनको निकाल नहीं पाती है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से ही सही, लेकिन ज्यादातर आरोप उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी पर लगाए, अपने पूर्व वित्त मंत्री पर लगाए, जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं। किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वह बरी होना चाहते थे। यह भी इस सरकार की चाल है कि हमेशा अगर प्रधानमंत्री हों, तो वे कहेंगे कि राजा जिम्मेदार हैं, महंगाई के लिए शरद पवार जिम्मेदार हैं और चिदम्बरम जी कहेंगे कि मेरे पूर्वाधिकारी जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि रुपया केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती, इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे-जैसे करेंसी गिरती है, तैसे-तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूं कि वित्त मंत्री के बयान का जो हश्र होना था, हो गया। हमने देख लिया, इसलिए आज हमें प्रधानमंत्री जी से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज हुआ है, तो वह है कि जो लोग इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट्स किए हुए हैं, जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी लिए हुए हैं, वे लोग इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं।

इसलिए हम देश के जाने-माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी से इस सदन में वक्तव्य की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी आएं और बताएं कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या यह गिरावट रुकेगी और रुकेगी तो उन्होंने इसके लिए क्या उपाय सोचे हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आएं और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। ■

यह विधेयक अपने मूल उद्देश्य से भटका : राजनाथ सिंह

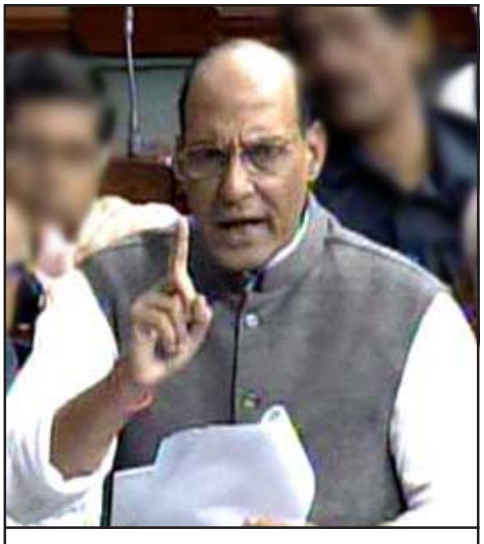

गत 29 अगस्त 2013 को लोकसभा में 'भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक-2011' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने सारगर्भित भाषण दिया। हम यहां सारांश प्रकाशित कर रहे हैं-

लम्बे इंतजार के बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिल संसद के समक्ष विचार के लिए आया हुआ है। बहुत ही गौर से पूरे विधेयक का मैंने अध्ययन किया है। इस विधेयक में कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो कि पूरी तरह से अनदेखे रह गये हैं। इस विधेयक में किसानों, गरीबों की जिस गम्भीरता से चिंता की जानी चाहिए थी, उतनी गंभीरता के साथ चिंता नहीं की गई है, बल्कि शहरों और उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं शहरों और उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, शहरों में भी सारी सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए, उद्योग भी इस देश में बढ़ने और किसान से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस विधेयक को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा जरूर की गई है। यह विधेयक अपने मूल उद्देश्य से काफी भटक गया है। हम भूमि को केवल आर्थिक गतिविधियों को ही जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इसके साथ किसान का भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आजादी मिलने के पहले भी और आजादी हासिल होने के बाद भी आर्थिक विकास के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उससे इस देश के किसानों में घोर असंतोष पैदा हुआ है। इससे लगभग 6.5 करोड़ की संख्या में किसान विस्थापित हुए हैं। 1894 के बाद इस विधेयक में 1962, 1967 और 1984 में तीन बार इसका संशोधन हुआ, लेकिन फिर भी मंशा इस देश के किसानों की यही थी कि भूमि अधिग्रहण इस तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इसके परिवार के समक्ष किसी प्रकार का भविष्य में कोई संकट पैदा न हो। इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इस देश के किसानों को कोई राहत नहीं मिल पायी। इस विधेयक के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए पब्लिक उद्देश्य शब्द के जरिए भूमि अधिग्रहण का एक रास्ता निकाल लिया गया है। पब्लिक उद्देश्य की श्रेणी में एक लम्बी सूची इस बिल में दी गयी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। यह शब्द इतना व्यापक है कि इसमें कई व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया, लेकिन मैं स्पेशल इकॉनामिक जोन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरी संसद इस बात को जानती है कि स्पेशल इकॉनामिक जोन जिस समय बनाया जा रहा था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। बड़ी संख्या में ये जोन इस देश में बना दिए गए। आज भी स्पेशल इकॉनामिक जोन का कोई भी काम वहां प्रारंभ नहीं किया गया है। मनमाने तरीके से किसानों की जमीन अधिगृहीत कर ली गयी है। पब्लिक परपज की व्याख्या करते समय एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिए जो मानक रखे गए हैं उनमें समानता नहीं है। वह यूनिफार्म रखने में क्या परेशानी थी? इस संबंध में भी मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। इस संबंध में भी मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या इस बिल के बाद भी जबरिया भूमि अधिग्रहण बिल का रास्ता खुला रहेगा? क्योंकि यह शंका हमारे मन में पैदा हुई है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ओर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी भूमि अधिग्रहण का यह सिलसिला प्रारंभ होने के पहले होना चाहिए और यह प्रक्रिया समयबद्ध भी होनी चाहिए। हमारे देश में लैंड टाइटल्स को लेकर लगभग 20

फीसदी मामले आज भी उलझे हुए हैं। अदालतों में उनके विवाद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। मैं बिल के क्लॉज 9 की तरफ आता हूं जो कि अर्जेन्सी के प्रावधान से संबंधित है। धारा 38 के तहत अर्जेन्सी प्रोविजन के माध्यम से यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो क्लॉज 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से मुक्त रखेगा। गांवों की यही असली समस्या है, वहां सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा और इन्वायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा, मैं इस संबंध में भी स्पष्टीकरण चाहूंगा, कि इस क्लॉज़ 9 को ही समाप्त कर दिया जाए। क्लॉज 10 कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर सिंचित मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण नहीं किया जाए। मगर सैक्शन 2 के सब सैक्शन्स में यह बात कही गई है कि अधिग्रहण किया जा सकता है यानि फिर से एक अधिग्रहण का रास्ता यहां खोल दिया गया है। हमारा तो मानना है कि जब तक किसान सहमति न दे तब तक कृषि योग्य भूमि का किसी भी सूरत में अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि विधेयक को पूरी तरह भूतगामी प्रभाव के साथ लागू कीजिए, जहां लोगों ने मुआवजा नहीं लिया हो, अथवा सरकार द्वारा न दिया गया हो अथवा जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस विधेयक का एक और खतरनाक क्लाज 38 है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजन्स के तहत डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को शक्ति दी गयी है, कि वह नोटिस करके तीस दिन के बाद किसी भी लैंड का अधिग्रहण कर सकते हैं। मैं यह मांग करता हूं कि क्लाज 38 को ही समाप्त किया जाना चाहिए। क्लाज 45 में लैंड एक्वीजिशन (रिहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमैंट) अथारिटी के गठन का प्रोविजन किया गया है। ये अथारिटीज कितनी गठित होंगी, यह विधेयक में उल्लेख नहीं है। क्या केवल राज्य स्तर पर ही ये अथारिटीज बनेंगी अथवा केवल केंद्र स्तर पर ही बनेंगी? हमारा यह मानना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या लगभग इस देश के अधिकांश जिलों में है। अत: इस तरह की अथॉरिटी जिला मुख्यालय स्तर तक बनाई जानी चाहिए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम कमीशनरी स्तर पर इसका गठन अवश्य किया जाए। जल्दी से जल्दी इस तरह के मामलों का निस्तारण होना चाहिए। विधेयक के क्लाज 95 में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित भूमि दस वर्षों तक उपयोग में नहीं आती है, तो वह जमीन सरकार के लैंड बैंक में चली जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भूमि किसान को वापस नहीं की जा सकती है, मैं इस संबंध में भी स्पष्टीकरण चाहूंगा। मुआवजे के संबंध में जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं, उनके संबंध में मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं क्योंकि मुआवजे की राशि कम है। दिल्ली ही नहीं, बड़े-बड़े शहरों के किसान, झुग्गी-झोंपड़ी में बसे हुए हमारे जो गरीब हैं, उनकी दयनीय हालत है। लेकिन मैं जानता हूं कि झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए क्या सरकार उनके लिए भी इस विधेयक में व्यवस्था नहीं कर सकती? मैं माननीय मंत्री महोदय से भी इस बारे में जानना चाहूंगा। इस देश में 90 प्रतिशत अधिग्रहण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानूनों के माध्यम से होता है। हैरानी की यह बात है कि जो विधेयक इस सदन में भूमि अधिग्रहण की भावी रूपरेखा पर विचारार्थ रखा गया है, उसके प्रावधान इन कानूनों पर लागू नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि इन कानूनों को इस विधेयक से बाहर रखने का क्या औचित्य है? साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह प्रोविज़न होना चाहिए कि जमीन लीज़ पर ली जाए अथवा इसका अधिग्रहण किया जाए, इसका फैसला किसानों की सहमति से होना चाहिए। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाए और अब भी मंत्री जी अपने विवेक से जो भी संशोधन स्वीकार कर सकते हों, उनको स्वीकार कीजिए जिससे किसानों के लिए यह विधेयक हितैषी बन सके, उसके लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए। ■

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह प्रोविज़न होना चाहिए कि जमीन लीज़ पर ली जाए अथवा इसका अधिग्रहण किया जाए, इसका फैसला किसानों की सहमति से होना चाहिए। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाए और अब भी मंत्री जी अपने विवेक से जो भी संशोधन स्वीकार कर सकते हों, उनको स्वीकार कीजिए जिससे किसानों के लिए यह विधेयक हितैषी बन सके, उसके लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए।

इस तरफ ध्यान दीजिए कि विधेयक में खामियां कितनी हैं : डॉ. जोशी

जून, 2009 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि उनकी सरकार एक खाद्य सुरक्षा विधेयक सदन में लाने वाली है। लेकिन सरकार ने इसे लाने में साढ़े चार साल लगा दिए। मुझे लगा कि सरकार ने इस विधेयक में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विधेयक में पर्याप्त भोजन का उल्लेख हुआ है लेकिन इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? यह पर्याप्त भोजन कितना होगा। आईसीएमआर ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार

गत 2 सितम्बर 2013 को लोकसभा में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013' पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश

14 किलोग्राम अनाज प्रति व्यस्क व्यक्ति को एक महीने में देने का सुझाव दिया है। इस विधेयक के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। खाद्यान्न के साथ दाल, घी, नमक आदि का प्रावधान नहीं है। पोषकता की उपेक्षा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के सबसे निचले गरीब वर्ग का इंटेक 9.88 कि॰ग्रा॰ है। लेकिन अब कैलोरी इंटेक को 2100 से घटाकर 1500 कैलोरी कर दिया गया है। सरकार यह दावा करती है कि इस विधेयक के पारित होने से लोगों को भुखमरी से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि गांवों में 75 प्रतिशत लोगों को और शहरों में 50 प्रतिशत लोगों को इसके तहत लाया जाएगा। लेकिन जो बाकी 50 प्रतिशत शहरी लोग हैं वे क्या खायेंगे। इस बिल का उद्देश्य यूनिवर्सल खाद्य सुरक्षा होना चाहिए था, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने 2009 के अभिभाषण में कहा था। छत्तीसगढ़ सरकार 90 प्रतिशत आबादी को कवर कर रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। सरकार ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को गरम पका-पकाया भोजन देने की बात कही गई है। लेकिन इस भोजन की घर-घर तक डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए क्या तंत्र होगा। इसका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। केवल लोगों को सब्जबाग दिखाया जा रहा है। यह सरकार अभी तक गरीब परिवारों की सही-सही संख्या का पता नहीं लगा पाई है। अब सरकार ने इसे तेंदुलकर समिति पर छोड़ दिया है। मुंबई में धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है जहां की आबादी दस लाख से भी अधिक है, वहां भी बीपीएल कार्डधारकों की संख्या केवल 141 है। अगर यह गरीबी की हालत है तो फिर हिन्दुस्तान में सारे ही अमीर हैं। ये सरकार की गिनतियां हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 88 विकसित देशों में से भारत का स्थान 66वां है। हम जिम्बाब्वे से सिर्फ एक स्थान ऊपर हैं। भूटान और नेपाल भी हमसे ऊपर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में हमारा स्थान 132वां है। यह इस देश की हालत है। सरकार कहती है कि गरीबों की संख्या कम होती जा रही है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति अनाज के मामले में हम 1947 में जहां थे आज भी वहीं हैं। हमें किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए कि उन्होंने बढ़ती हुई आबादी के साथ अधिक अनाज पैदा कर खाना खिला दिया।

आप स्केयरसिटी पैदा कर रहे हैं और एक डिजाइन भी पैदा कर रहे हैं। आप नीतियां ऐसी बना रहे हैं कि इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब और भूखी रहे। उनके सामने सारा बिल पेश करके, उनको लुभाकर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोग भूखे हैं इसलिए यह कानून लाया

शेष पृष्ठ 27 पर

वर्तमान खाद्य योजनाओं से भी निकृष्ट है यूपीए का वर्तमान खाद्य सुरक्षा विधेयक

1. अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का दुरुपयोग

खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर अध्यादेश जारी करने के बारे में विधायी शक्तियों का दुरूपयोग किया है। 123 के अन्तर्गत अध्यादेश ऐसी अत्यंत तात्कालिक परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब आगामी संसद सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता है। यह विषय इतना तात्कालिक होना चाहिए जिसके लिए अध्यादेश जारी करने और संसद सत्र के बीच की तारीख का इंतजार करना कठिन हो जाना है। परन्तु इस मामले में अध्यादेश 5 जुलाई 2013 को जारी किया गया और संसद का सत्र 5 अगस्त 2013 को बुलाया जाना था। इन 30 दिनों के बीच ऐसा क्या कुछ घट गया है जिसके लिए विधायी चर्चा और बिल के लिए विधायी स्वीकृति का इंतजार नहीं किया जा सकता था? बिल के खण्ड 3 में प्राथमिकता के आधार पर कुछेक परिवारों को सब्सिडीयुक्त अनाज की एक मात्रा में देने का प्रावधान है। खण्ड 9 में केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है कि वह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कवर करने के लिए एक प्रतिशतता निर्धारित कर सके। खण्ड 10 में अधिनियम की शुरूआत से 365 दिनों की अवधि के अन्दर पात्र परिवारों की पहचान और सूची तैयार करने का प्रावधान है। अत: इस अधिनियम के अन्तर्गत पहचान और अनाज के वितरण पर कार्रवाई जल्द से जल्द 2014 के बाद के महीनों में ही शुरू हो सकती है। तब तक वर्तमान खाद्य योजना जारी रहेगी। तब 5 जुलाई 2013 को ही अध्यादेश जारी करने की कौन सी तात्कालिता रह जाती है।

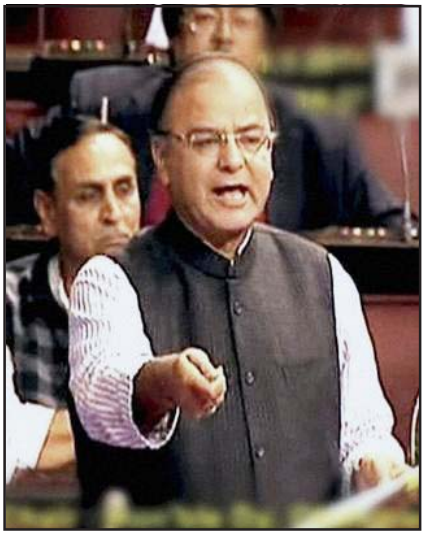

विपक्ष के नेता (राज्यसभा) श्री अरुण जेटली द्वारा 2 सितम्बर को खाद्य सुरक्षा विधेयक पर दिये गये भाषण का सारांश

2. बिल का यह विषय ऐसा है, जिस पर, यदि पूर्णत: नहीं तो कम की ज्यादा हद तक राज्य सरकारों को क्रियान्वित करना है।

बिल पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इस बिल के अन्तर्गत किए जाने वाले 30 प्रमुख सभी कार्यों पर राज्य सरकारें निभाएंगी। राशन कार्ड जारी करने का काम राज्य सरकारें करेंगी (खण्ड 2 (16))। राज्य सरकारों को अनाज का वितरण करना होता है (खण्ड 3 (3))। अनाज की अदला-बदली राज्य सरकारें करेगी (खण्ड 3 (3))। राज्य सरकारें ही आंगनवाडियों की पहचान करेंगी (खण्ड 6)। अनिवार्य मात्रा का वितरण राज्य सरकारों करेंगी (खण्ड 8)। राज्य सरकारों को ही प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करनी होगी (खण्ड 10 (2))। राज्य सरकारें ही सूचियों का प्रदर्शन करेगी (खण्ड 11)। साथ ही साथ राज्य सरकारों को सुधारों का काम हाथ में लेना होगा (खण्ड 12)। शिकायत तंत्र तय करना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है (खण्ड 14)। राज्य खाद्य आयोग की नियुक्तियों का काम राज्य सरकारों को करना है (खण्ड 16)। यह भी राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे केन्द्र की योजनाओं की निगरानी करे (खण्ड 24)। इस योजना के लिए जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों का दायित्व भी राज्य सरकारों पर रहेगा (खण्ड 25)। राज्य सरकारों ही देखभाल और सार्वजनिक प्रगटीकरण का काम करेंगी (खण्ड 28)। राज्य सरकारें ही नियम बनाएंगी (खण्ड 40)। इस कानून के अन्तर्गत किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

अत: आवश्यक है कि इस पर केवल राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए था, बल्कि खाद्य वितरण की प्रकृति पर भी राज्यों को काफी कुछ लचीला बनाना आवश्यक है। कितने परिवारों को इस योजना में शामिल करना है और किस हद तक पोषणीयता का विस्तार करना है, यह उन्हें ही तय करना है। एक ही प्रकार की स्थिति सभी राज्यों के लिए यह भारत की परिसंघीय प्रणाली में एक अनजानी सी बात है। क्योंकि इस कानून को लगभग पूरी तरह से राज्यों को

कार्यान्वित करना है, अत: केन्द्र के लिए उपयुक्त होता कि प्रत्येक राज्य अपना-अपना कानून बनाने के लिए बाध्यकारी कर दिया जाता।

3. क्या यह खाद्य सुरक्षा बिल है या यह केवल वर्तमान योजनाओं की मात्र एक 'रिपैकेजिंग' है?

यह बिल हमें वर्तमान योजनाओं में दिए गए हकों की बजाय काई कानूनी अधिकार प्रदान करता है- इस प्रकार का आशय भ्रान्तिपूर्ण है। बिल की अपनी भाषा से ही पता चलता है कि अधिकार लचीला है और विभिन्न राज्यों में भिन्नता हो सकती है। खण्ड 3(2) के अन्तर्गत, 75 प्रतिशत तक की ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक नगरीय आबादी के परिवारों को शामिल करने की बात परम सीमा है। यह 'अन्तिम सीमा' है। यह परिवारों को शामिल करने के बारे में न्यूनतम सीमा की बाध्यकारी सिफारिश नहीं है। इस खण्ड के शब्द पात्र परिवारों के लिए सब्सिडीयुक्त मूल्य पर खाद्य प्राप्त करना अनिवार्य बनाते हैं। इसमें प्रावधान है कि ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत तक और नगरीय आबादी का 50 प्रतिशत तक के परिवादो तक इसका विस्तार किया जा सकता है। अत: प्रतिशतता को लचीला रखने से, अधिकार सदैव हक बन जाता है क्योंकि बिल के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले लोगों की संख्या हमेशा ही लचीली रहती है। इसी प्रकार, खण्ड 9 में केन्द्र को शक्ति का प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार, न कि राज्य सरकारें इस प्रतिशतता कवरेज में भिन्नता लाएंगी। इस बिल को इन पैरामीटरों में ही आप्रेट करना होगा।

यह बिल अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का दुरूपयोग है। यह एक ऐसे विषय का कानून है जिसे पूरी तरह से राज्यों को लागू करना है। यह सरकार की वर्तमान योजनाओं का मात्र रिपैकेजिंग है। इससे न तो वर्तमान योजनाओं की कवरेज बढ़ती है और न ही लोगों को वित्तीय अनुदान मिलता है। राज्य सरकारें पहले ही जो लोगों को प्रदान कर रही है, यह उससे कहीं घटिया है।यह ज्यादह कीमत पर कम अनाज प्रदान करती है और फिर भी यूपीए सरकार इसे 'राष्ट्रीय खाद्य योजना सुरक्षा बिल' कहने का दु:साहस करती है।

इस बिल को निम्नलिखित कारणों से वर्तमान खाद्य योजनाओं का रिपैकेजिंग ही कहा जा सकता है:

सभी वर्तमान खाद्य योजनाओं में इस वर्ष 113000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। 23 अगस्त 2013 को राज्य सभा में मंत्री महोदय ने सूचना दी है कि खाद्य बिल के बाद सब्सिडी बढ़कर 125,000 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार, इस 'टाउटेड' बिल के लिए केवल 12,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी बढ़ेगी। इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बजट दस्तावेजों में, जिनमें टीडीपीएस, मिड डे मील, आइसीडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कम्प्यूट्राइजेशन और वेयरहाउसिंग भी शामिल हैं, पहले ही 124,844 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।

बीपीएल श्रेणी के लिए, वास्तव में अनाज की मात्रा 35 किलोग्राम से घट कर 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए मोटे तौर पर 25 कि.ग्रा. प्रतिमाह रह जाएगी। वर्तमान खाद्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों की संख्या 18.04 करोड़ परिवार अर्थात् 85.99 करोड़ लोग हैं। अब नई योजना के अन्तर्गत यह आंकडा घट कर 81.37 करोड़ लोग रह जाएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य और कई अनेक राज्यों में ऐसे राज्य हैं जहां 35 कि.ग्रा. अन्न, 2 कि.ग्रा. दाल, 1.3 कि.ग्रा. चीनी, और 2 कि.ग्रा. नि:शुल्क आइओडाइज्ड नमक कुल 56 लाख परिवारों में से 42 लाख परिवारों को इतनी मात्रा दी जाती है। वर्तमान बिल से कवरेज और न्यूट्रिशनल वेल्यू दोनों के आधार पर यह कवरेज घट जाएगी। अत: केन्द्र का यह कानून ऐसे राज्यों द्वारा दी गई कहीं अधिक उदार योजनाओं के लिए फैक्टर बन जाएगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य 1 रु. प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से अनाज दे रहे हैं। इस अधिनियम से यह कीमत दुगुनी हो जाएगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार योजना में राज्य के मूल्यों से दुगुना या तिगुना मूल्य का प्रावधान है। मात्रा घट जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी।

अन्त में यह बिल अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का दुरूपयोग है। यह एक ऐसे विषय का कानून है जिसे पूरी तरह से राज्यों को लागू करना है। यह सरकार की वर्तमान योजनाओं का मात्र रिपैकेजिंग है। इससे न तो वर्तमान योजनाओं की कवरेज बढ़ती है और न ही लोगों को वित्तीय अनुदान मिलता है। राज्य सरकारें पहले ही जो लोगों को प्रदान कर रही है, यह उससे कहीं घटिया है।यह ज्यादह कीमत पर कम अनाज प्रदान करती है और फिर भी यूपीए सरकार इसे 'राष्ट्रीय खाद्य योजना सुरक्षा बिल' कहने का दु:साहस करती है। ■

यूपीए ने हर मोर्चे पर लोगों से छल किया : वेंकैया नायडू

गत 2 सितम्बर 2013 को राज्यसभा में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013' पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसद श्री वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए भाषण का सारांश-

भाजपा देश के सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के पक्ष में है। 67 वर्षों से, आपने आम आदमी और गरीब आदमी की पूर्णतया उपेक्षा की है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता है। अचानक, चुनावों से ठीक पहले, आपको लगा कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार खाद्य सुरक्षा के नाम पर वोट की सुरक्षा हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह चुनावी हथकंडे के अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने हर मोर्चे पर लोगों के साथ छल किया है। खाद्य सुरक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब देश के किसानों में संतुष्टि हो।

आप किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे?जब तक आप अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक आप आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। जनसंख्या बढ़ रही है, खपत का स्तर बढ़ रहा है परन्तु उत्पादन का स्तर खपत के स्तर के अनुरूप नहीं है। कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में है। लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करे। खाद्य सुरक्षा विधेयक तभी लागू किया जा सकता है, जब आप 350 मिलियन टन अधिक उत्पादन करें। सरकार ने इस विधेयक में किसान समुदाय को सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा नहीं दी है। पिछले दशक में किसानों की संख्या 127.3 मिलियन से कम होकर 118.7 मिलियन रह गई है। बीजों के दाम बढ़ रहे हैं। खेती की लागत बढ़ रही है। सभी कृषि आदानों की लागत बढ़ रही है। धान के उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत 1,355 रुपए है जबकि न्यूनतम समर्थन मूलय 1,080 रुपए निर्धारित किया गया है। आप किसान से अधिक उत्पादन की आशा कैसे कर सकते हैं?

सरकार बुनियादी स्तर पर स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन देते समय खाद्य उत्पादन के लिए भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। किसानों के लिए भी कुछ कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए थे। सबसे पहले, इस सभा को, देश को कृषि के लिए संवहनीयता प्रदान करने के बारे में आवश्स्त कीजिए।

किसान समुदाय में यह भय व्याप्त है कि कल, केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकारें चावल पर कर लगा सकती हैं और किसान इसे पहले सरकारी एजेंसी को बेचने पर मजबूर होंगे। उन्हें बाजार से लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। अधिप्राप्ति एक बड़ी चुनौती है। अवसंरचना कहां है? गोदाम कहां हैं? हम भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। चिंता का वास्तविक कारण यह है कि आप इस योजना का वित्तपोषण कैसे करेंगे? वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। आपका राजसहायता का बिल बढ़

रहा है। निवेश नहीं किया जा रहा है। घरेलू और वैश्विक निवेशक, दोनों सरकार में विश्वास खो चुके हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि यह विधेयक सरकारी वित्त के लिए तबाही ला सकता हैं अगले कुछ वर्षों में, राजसहायता में बढ़ोतरी से कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। आरबीआई के निवर्तमान गवर्नर ने कहा है कि रुपए की हमारी समस्या का एकमात्र हल चालू खाता घाटे को कम करना है। हमने देखा है कि तीन वर्षों से लगातार चालू खाता घाटा वहनीय स्तर से बहुत अधिक है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है और सरकार कीमतों को रोकने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो आम लोगों का क्या होगा?

तथ्य यह है कि देश में कुपोषण की समस्या है और पोषण के पहलु पर ध्यान दिए बिना, आप उन बच्चों पर किस प्रकार ध्यान देंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि देश की संघीय प्रणाली पर आघात मत कीजिए। राज्यों को उनकी अपनी योजनाएं बनाने दीजिए। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उन राज्यों की उनकी कार्यक्रम में सहायता कीजिए। खाद्य विधेयक कोई अच्छा विधेयक नहीं होगा यह बहुत ही खर्चीला होगा। आप चुनावों की पूर्व संध्या पर बहुत-सी बातें कर रहे हैं।

अंतिम समय में बिना किसी उचित आवंटन के लोगों को झुनझुना पकड़ाने और खोखले वायदे करने से कुछ हासिल नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य इसे बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। ■

सिक्किम में त्रिदिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर

भाजपा को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीटों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेना है

भाजपा सिक्किम प्रदेश ने जोरथांग (दक्षिण सिक्किम जिला) में 31 अगस्त से 2 सितम्बर तक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसमें कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी देखी गई और लगभग 75

भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। सिक्किम को अन्य स्थानीय राजनैतिक दलों ने भी दो दिन तक प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटल सिक्किम के पूर्व सांसद श्री नकुल दास राय ने 31 अगस्त 2013 को दीप प्रज्जवलन के साथ किया।

सिक्किम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री पद्म छेत्री ने कार्यशाला के बारे में संक्षेप से बताते हुए कार्यक्रम की शुरूआत की तथा कार्यकर्ताओं का इस बैठक में बड़ा उत्साह और समर्थन देखने को मिला।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल ने बैठक को सम्बोधित किया। उन्होंने चुनाव प्रबंधन पर चर्चा की और 2014 में होने वाले आगामी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में बूथ एजेण्ट एवं उसमें अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया।

पश्चिम बंगाल भाजपा (संगठन सचिव) के दूसरे सत्र में श्री अमल चक्रवर्ती ने जनसंघ के दिनों से भाजपा के जन्म और विकास पर अपना मत प्रगट किया।

सिक्किम भाजपा प्रभारी डा. दिनेशानंद गोस्वामी ने सांध्य सत्र को संचालन किया। उन्होंने उन विभिन्न विधियों तथा रणनीतियों पर प्रकाश डाला जिसका उद्देश्य भाजपा को इस बार विधानसभा में प्रवेश करने का संकल्प करना है।

सत्र के समापन सत्र में संगठन सचिव श्री पंचानन राउत और भाजपा सिक्किम संगठन सचिव यादव जी की अध्यक्षता की और अंतिम सत्र में रा.स्व.सं के प्रांत प्रचारक श्री वासुदेव पाल ने सम्बोधित किया। उन्होंने किसी भी संगठन के तौर तरीकों और कामकाज पर चर्चा की। ■

'कांग्रेस के पास नेता, नीति, नैतिकता एवं नीयत नहीं'

भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों का आह्वान किया कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए देश को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, भाजपा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितम्बर 2013 को जयपुर स्थित अमरूदों के बाग में सुराज संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह आह्वान किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की कांग्रेसनीत सरकार ने देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की सुविधा देने में विफल रही है। केंद्र में सत्ता की दो धुरी बनी हुई है और प्रधानमंत्री प्रभावहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने जल, नभ और थल तीनों में ही भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है।

श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही है, श्री मोदी को बेवजह बदनाम करने के लिए पुलिस अधिकारी का इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने पार्टीजनों विशेषरूप से नौजवानों को आगाह किया कि कांग्रेस सरकार इस समय हताश, निराश हो चुकी है। श्री मोदी को बदनाम करने के लिए अनर्गल कोशिश की जायेगी उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है।

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि नौजवान भाजपा के साथ खड़ा हो गया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की खूब खिंचाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है और भ्रष्टाचार की हदें पार हो गयी है। आजादी के पहले और आजादी के बाद की कांग्रेस में जमीन- आसमान का अंतर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आज की कांग्रेस परिवार की भक्ति में डूबी हुई है और आजादी के पहले की कांग्रेस देश की भक्ति में डूबी हुई थी।

उन्होंने दावा किया कि परिवार भक्ति के कारण कांग्रेस सरकार को देशवासियों की परवाह नहीं है। भाजपा भारत भक्ति में लीन है, भाजपा देश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर आगे बढ रही है।

श्री मोदी ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए देश को कांग्रेस मुक्त करना होगा, कांग्रेस के रहते हुए भ्रष्टाचार मुक्त होना असंभव है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार की न नीति है, न नियत और न ही नैतिकता है। केंद्र की सरकार को रुपये की नहीं सरकार बचाने की चिंता है। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि वे राष्ट्र की शक्ति है। अधिक से अधिक नौजवान यदि उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करवाया है तो सूची में शामिल करवा कर अपने अधिकार (मताधिकार) का उपयोग कर

कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंके।

श्री मोदी ने कहा कि देश में दस साल से ऐसी सरकार चल रहीं है जिसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है जो निर्णय कर रहे है उनकी देश से जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर देशवासियों के कल्याण का काम भूल कर अपने विरोधियों का हिसाब चुकता करने और भ्रष्टाचार करने में तथा सरकार के अन्तिम साल में देशवासियों को रेवड़ियां बांटने में लगाती है। श्री मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुआ तो पार्टी के पक्ष में हवा होते हुए भी उसे मतों में नहीं बदल सकेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से इस काम में लगना होगा। संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत है, यह समय ताकत लगाने का है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रंग दिखायेगा और देश भी दम दिखायेगा।

भाजपा राजस्थान प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हर मोर्च पर विफल बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को विकास के रास्ते काफी पीछे धकेल दिया है। गुजरात, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विकास में कहां से कहां पहुंच गये है लेकिन राजस्थान विकास में पिछड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सरकार घोटालों भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

श्रीमती राजे ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौजवानों को नौकरियां देने का काम प्राथमिकता से शुरु किया जायेगा। हम नया राजस्थान बनायेंगे।

इस मौके पर जयपुर पूर्व रियासत की श्रीमती दीया कुमारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्री राजवर्द्धन सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमती दीया कुमारी और श्री राजवर्द्धन का पार्टी की सदस्यता लेने पर स्वागत किया।

सुराज संकल्प सम्मेलन को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी, भाजपा विधायक दल के सचेतक श्री राजेंद्र राठौड, पूर्व मंत्री डॉ दिगंबर सिंह, श्री काली चरण सर्राफ समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया।■

भाजपा ने किया कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश

गत 6 सितम्बर 2013 को दिल्ली प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार की इस बात के लिए कड़ी निंदा की है कि उसने 15 वर्षों के अपने रिपोर्ट कार्ड में गलत, असत्य और गुमराह करने वाली जानकारी दी है। पार्टी ने कांग्रेस की रिपोर्ट कार्ड में किये गये झूठे दावों का जवाब देने के लिए एक रिपोर्ट जारी की।

पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुये दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों पर तैयार की गई कांग्रेस की रिपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने झूठे प्रचार का सहारा लिया है।

सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार और कुशासन के 15 वर्षों में दिल्ली महंगी, अनियोजित, असुरक्षित और प्रदूषित बन गई है।

संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा "भाजपा द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट कार्ड वास्तव में असली रिपोर्ट कार्ड है और यह कांग्रेस सरकार द्वारा दो दिनों पहले जारी किये गये रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं है। यह खेदजनक है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और उसके सभी मंत्रिगण सामूहिकरूप से आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं। यह कांग्रेस के भीतर हताशा को दर्शित करता है जिसके पास 15 वर्षों के कुशासन के दौरान दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।"

"दिल्ली के लोग बढ़ती मंहगाई, महिलओं के विरुद्ध अपराध, बिजली और पानी की आसमान छूती दरों, पानी की किल्लत, शिक्षा और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन का अभाव, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा भ्रष्ट और घटिया पीडीएस प्रणाली के कारण परेशान हैं। भ्रष्टाचार और उसे छुपाना पिछले 15 वर्षों के दौरान दिल्ली की कांग्रेस सरकार की पहचान बन गई है।

जारी किये गये काउन्टर रिपोर्ट कार्ड के बारे में विस्तार से बताते हुये यह कहा गया है, "वास्तव में यह तो छोटा सा संकेत है। कांग्रेस सरकार के कुकृत्य और झूठ इतने अधिक हैं कि उन्हें एक दस्तावेज में बताना संभव नहीं है। फिर भी इसमें उसकी एक झलक मिलती है कि किस प्रकार कांग्रेस जनता को ठग रही है। यह उस बात की ओर भी इशारा करती है कि कांग्रेस सरकार के पास अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है।"■

दूसरों पर आरोप मढ़ना हल नहीं है, प्रधानमंत्री जी!

✍ डॉ. शिव शक्ति बक्सी

एक ओर जहां पूरा देश अविश्वास और बड़ी बेचैनी से अमरीकी डॉलर के सामने भारतीय रुपए का गिरना देख रहा था और पूरा बाजार आशंका एवं घबड़ाहट में डूबा हुआ था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह संसद में बयान देकर इसे अर्थव्यवस्था के हित में बता रहे थे। उनका मानना था कि रुपया का गिरना महज एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जो जरूरी है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा:

''सभापति महोदया, रुपए के अवमूल्यन पर वापस आते हुए हमें स्वीकार करना चाहिए कि अवमूल्यन का एक कारण महज आवश्यक सुधार है। भारत में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति काफी अधिक रही है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि विनिमय दर में इस अन्तर की वजह से सुधार होगा। कुछ हद तक अवमूल्यन अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा हो सकता है क्योंकि इससे हमारी निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात निरूत्साहित होगा।''

असल में उनका पूरा वक्तव्य ही अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। सबसे पहले वे रुपए के अवमूल्यन के लिए अनपेक्षित बाहरी कारणों को दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने बाहरी कारणों में सीरिया के कारण बने तनाव को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यह एक विचित्र दलील है, ऐसा कैसे है कि सीरिया के तनाव के बाद भी अमरीकी डॉलर मजबूत हो रहा है जबकि भारतीय रुपया कमजोर पड़ गया है। इसके बाद वे सोना, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, कोयला आयात तथा घटते निर्यात को इसके लिए दोषी मानते हैं। यदि ऐसा है तो क्या उनकी सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम उठाये, यदि हां तो प्रधानमंत्री उन कदमों को क्यों नहीं गिनाते हैं। वे इसके लिए विदेशी विनिमय बाजार को भी जिम्मेवार ठहराते हैं। जिसका उनके अनुसार 'जरूरत से ज्यादा उछाल आने का इतिहास' रहा है। वे कहते हैं कि यह अन्य मुद्राओं के साथ भी हो रहा है अत: रुपया भी इसके चपेट में आ गया। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक तरह से उनका कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया उनके दायरे से बाहर है। अत: इसको नियंत्रित करने में सरकार कुछ नहीं कर सकती।

इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं उनकी सरकार ने रुपए को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाये हैं। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि रुपए का अवमूल्यन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है तब फिर उनकी सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को स्थिर करने के लिए कदम क्यों उठा रही है। और यदि यह बाहरी कारणों से हो रहा है तब उनकी सरकार इसे कैसे नियंत्रित कर सकती है। वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सफाई से और भी संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस 'संभ्रम' को सरकार के कामकाज के हर स्तर पर देखा जा सकता है जिसके कारण पूरी सरकार ही नीति पंगुता की शिकार हो गई है। प्रधानमंत्री स्वयं ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर रुपया का अवमूल्यन अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ठीक है? उनके पास कोई नीति है ही नहीं जिससे यह पता चल सके कि उनकी सरकार रुपए का अवमूल्यन चाहती है अथवा उसे मजबूत होते देखना चाहती है।

यदि हम कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के पिछले रिकार्ड को देखें तो पायेंगे कि

यदि हम कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के पिछले रिकार्ड को देखें तो पायेंगे कि यह हमेशा भाग्य भरोसे अपनी नैय्या पर लगाना चाहती है। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मानसून के भरोसे अर्थव्यवस्था उबारना चाहते हैं। यदि इसमें वे असफल होते हैं तो आसानी से बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं एवं भारी वर्षा को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की यह आदत है कि अपनी सरकार की नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं और एक असहाय व्यक्ति की तरह नाकामी का रोना रोते रहते हैं।

यह हमेशा भाग्य भरोसे अपनी नैय्या पर लगाना चाहती है। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मानसून के भरोसे अर्थव्यवस्था उबारना चाहते हैं। यदि इसमें वे असफल होते हैं तो आसानी से बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं एवं भारी वर्षा को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की यह आदत है कि अपनी सरकार की नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं और एक असहाय व्यक्ति की तरह नाकामी का रोना रोते रहते हैं। असल में उनकी सरकार अपनी गलत नीतियों की अनदेखी करना चाहती है जिसके कारण इस देश को एक अभूतपूर्व महंगाई का मुंह देखना पड़ा है और लोगों को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा रहा है। इन्हीं नीतियों के कारण भ्रष्टाचार अपने चरम पर है तथा भारत के लोगों की गाढ़ी पसीने की कमाई लूटी जा रही है।

रुपए का अवमूल्यन

मई के अंतिम सप्ताह से रुपए में भारी गिरावट दर्ज हुई और अगस्त के अंतिम सप्ताह आते-आते यह 68.75 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। बहुतों का अनुमान है कि यह 70 रुपए के पार चली जाएगी। भारतीय रुपया जो 1947 में एक डॉलर के बराबर था ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि इसकी स्थिरता पर लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं और यह देशव्यापी चिंता का कारण बन चुका है। नरसिंह राव सरकार में जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे तब एक डॉलर की कीमत 24 रुपए थी। और जब वे प्रधानमंत्री बने उस समय एक डॉलर की कीमत 44 रुपए थी। और अपनी दूसरी पारी के अंतिम वर्ष में वे एक डॉलर की कीमत 68 रुपए देख रहे हैं। निवेशक विश्वास खो चुके हैं, बाजार में भय का वातावरण है, सेंसेक्स लुढ़क रहा है पर डा. मनमोहन सिंह का कहना है कि इससे किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

रुपए में गिरावट के साथ है भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बदतर होती स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मुद्राओं के बीच का विनिमय 'मांग और आपूर्ति' के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉलर की आपूर्ति में कमी हुई है जिसके लिए सरकार की अदूरदर्शी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं।

भारत में इप्सोज के मुख्य प्रबंधक मिक गॉर्डन कहते हैं, ''भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है जबकि रुपया डॉलर के सामने तेजी से गिर रहा है। आयातकों, बैंकों द्वारा डॉलर की भारी मांग, लगातार पूंजी का बाहर जाना, बढ़ता चालू खाता घाटा, दूसरी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत डॉलर के साथ-साथ फेडरल रिजर्व द्वारा बॉण्ड क्रय कार्यक्रम में बदलाव के कारण रुपया पर भारी दबाव बना हुआ है।''

डॉ. मनमोहन सिंह रुपए के अवमूल्यन को वैश्विक आर्थिक प्रक्रिया बता कर भले ही अपनी सरकार का पल्ला झाड़ लें परन्तु इसका परिणाम भारत की जनता के लिए अत्यंत दुखद होगा। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होगा तथा रुपए के अवमूल्यन की कीमत भारतीय जनता को निम्न रूप से चुकानी पड़ेगी:-

- रुपया कमजोर होने पर आयात महंगा होगा, क्योंकि अब हम एक डॉलर के बदले पहले से अधिक रुपए चुकाएंगे।
- देश के कुल फर्टिलाइजर खपत का 50-55 फीसदी हिस्सा हम आयात करते हैं। यह महंगी होगी तो किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी।
- मेडिसिन या उनमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स का भी बड़े पैमाने पर आयात होता है। इससे दवाइयां महंगी होंगी, आम लोगों की दिक्कतों में इजाफा होगा।
- हम अपनी जरूरत का लगभग 75 फीसदी तेल आयात करते हैं। कुछ पैसों का फर्क भी भारत के लिए करोड़ों रुपए का घाटा बढ़ा देता है।
- तेल की कीमतों का मुद्रास्फीति से सीधा संबंध है। खासकर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होते ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है।
- मुद्रास्फीति आम लोगों के साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर पर भी सीधे असर डालती है। इससे घरेलू कर्ज सहित अन्य तमाम कर्ज भी महंगे हो जाते हैं। इससे आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक पर सीधा असर पड़ता है।
- विदेशी निवेशकों के रिटर्न में कमी आती है। इससे वे देश में निवेश करने में कतराने लगते हैं।
- लोन ज्यादा चुकाने से कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है। इससे कंपनियों को अपने खर्च में कमी करने के लिए अपने स्टाफ की छंटनी करने पर विवश होना पड़ता हैं। इससे बेरोजगारी की स्थिति और गंभीर होती है।

डा. मनमोहन सिंह भले ही रुपए के अवमूल्यन की कोई भी व्याख्या दें परन्तु इसका परिणाम देश की गरीब जनता को ही भोगना पड़ेगा।

एनडीए की उपलब्धियां यूपीए ने गंवाई

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार न केवल राजग की उपलब्धियों को गंवाने के

लिए जानी जाएगी बल्कि इसे देश को संकट एवं अनिश्चितता के दलदल में धकेलने के लिए भी याद किया जाएगा। जो राजग शासन में आर्थिक बढ़त मिली थी वह तो गंवाई गई ही, साथ में आज एक नकारात्मक दौर की शुरूआत हो चुकी है। उत्साह एवं उमंग का वातावरण पूरी तरह समाप्त हो चुका है और 'पॉलिसी पैरालिसिस' एवं 'आर्थिक लुढ़काव' जैसे शब्द प्रचलन में हैं। 'बाहरी कारण' जिसका हवाला डा. मनमोहन सिंह बार-बार देते रहते हैं वे असल में राजग शासनकाल में थे जब पोखरण विस्फोट के बाद भारत पर कई शक्तिशाली देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। परन्तु अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इतनी दृढ़ता से किया गया कि भारत के बढ़ते बाजार की अनदेखी नहीं की जा सकी है और इन देशों को प्रतिबंध हटाने पड़े। जब राजग 1998 में सत्ता में आई तब मुद्रास्फीति की दर करीब 13.2 प्रतिशत थी। 1999 में यह 4.7 प्रतिशत पर आ गयी और 2003 में 3.8 प्रतिशत थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, कारगिल युद्ध तथा सुखे की स्थिति में भी राजग ने स्थिति बिगड़ने नहीं दी। मुख्य बात यह है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही। राजग जब शासन में आई तब डॉलर की कीमत 38 रुपए थी और शासन छोड़ते समय यह लगभग 42-44 रुपए के करीब थी। राजग शासन एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व करता है जबकि देश में आर्थिक अनुशासन था तथा राजकोषीय घाटा मात्र 3 प्रतिशत पर लाया जा चुका था।

इसके ठीक उलट कांग्रेसनीत यूपीए ने देश को आसन्न आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इसने देश को ठीक उसी स्थिति पर पहुंचा दिया है जहां से राजग ने इसे उबारा था और एक उत्साहपूर्ण स्थिति में ले गया था। देश को अभूतपूर्व महंगाई झेलनी पड़ रही है तथा खाद्य मुद्रास्फीति 18.5 प्रतिशत तक के स्तर को छू चुकी है। अप्रैल 2004 से अप्रैल 2012 तक के थोक मूल्य सूचकांक में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य पदार्थ के मामले में यह 98 से 206.4 तक के आंकड़े दिखा रही है। यूपीए शासन के पिछले दस वर्ष के काल में राजकोषीय घाटा 7 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा ने सोना तक गिरवी रखने की वकालत की है।

निष्कर्ष

आर्थिक कुप्रबंधन और अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों के कारण कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के शासनकाल में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। एक तरफ जहां यूपीए 'पॉलिसी पैरालिसिस' की जकड़ में है वहीं दूसरी ओर यह जन-विरोधी निर्णय लेने से कतराई भी नहीं जिसके कारण बेरोजगारी और बदहाली बढ़ी है। डीरेगुलेशन, डी-कन्ट्रोल, सब्सिडी कट, जरूरत के सामान को सट्टाबाजार से जोड़ने के कारण आम आदमी की जिन्दगी और भी दुरूह हो गई है। यूपीए का दावा कि इन कदमों से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अब खोखला साबित हो चुका है। इन सबको देखते हुए डा. मनमोहन सिंह के 'और अधिक कड़े सुधार' के लिए तैयार रहने की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उनके पहले के सुधार एक सुनहरे आर्थिक भविष्य का सपना दिखा कर किया गया था परन्तु हुआ ठीक उसके उलट। अब वे नई तरह के 'सुधार' की बात कर रहे हैं जिसका जोखिम अब इस देश की गरीब जनता नहीं उठा सकती।

जहां प्रधानमंत्री को 'बाहरी कारणों' पर दोष मढ़ने की आदत हो गई है, इस बार उन्होंने अपनी सरकार की विफलता का दोष विपक्ष पर भी मढ़ा है। यह अलग बात है कि उनकी सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, फिर भी यदि कोई उपलब्धि हो तो भी क्या उसे वे विपक्ष के साथ बांटना चाहेंगे? अपने पूरे कार्यकाल में यूपीए ने कभी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया ना ही किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोई पहल की। इसने हमेशा अलोकतांत्रिक मानसिकता के साथ विपक्ष पर दबाने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह बेनकाब हो चुकी है। इसके मंत्री जेल भेजे गये और देश का सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां कीं। इसलिए प्रधानमंत्री अपनी सरकार का दूसरों पर आरोप मढ़ने के सिवा किसी और तरीके से बचाव नहीं कर सकते।

पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। नीति निर्माताओं को आर्थिक सुधार के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए तथा पूरे देश को अनुकूल नीति-सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारी अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटा रहे हैं, विश्वास निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे, केवल दिखावा और छलावा की राजनीति हो रही है, एक-दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है, गरीबों का जीना दुष्कर हो गया है परन्तु उनको किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा रही है। रुपए का अवमूल्यन निश्चित रूप से बड़ा संकट पैदा करेगा तथा अथव्यवस्था को आने वाली कड़ी चुनौतियों से निबटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर क्या कांग्रेसनीत यूपीए अपनी अदूरदर्शी नीतियों से इन चुनौतियों के का सामना कर पायेगी? यह एक यक्ष प्रश्न है।■

जम्मू-कश्मीर में प्रजा परिषद आन्दोलन की पुनर्व्याख्या

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

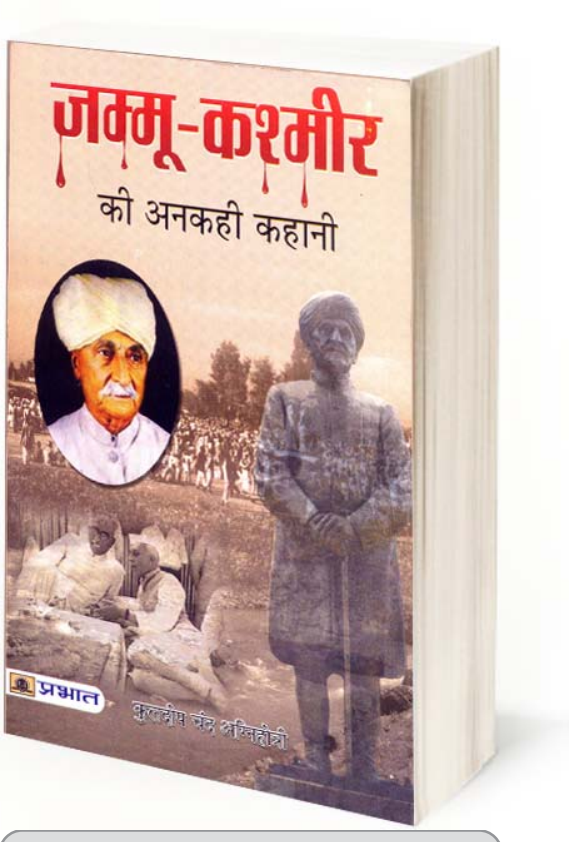

पुस्तक का नाम	:	**जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानियाँ**
लेखक	:	**कुलदीप चन्द अग्निहोत्री**
प्रकाशक	:	**प्रभात प्रकाशन**
मूल्य	:	**₹ 175**

कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई डा0 कुलदीप चन्द अग्निहोत्री की पुस्तक 'जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानी', कश्मीर समस्या में रुचि लेने वाले विद्वानों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य के इतिहास, सटीक शब्दों में कहना हो तो उन्होंने इस पुस्तक में राजनीति के उस अध्याय को केन्द्र बिन्दु में लाने का प्रयास किया है, जिससे अभी तक सभी बचने का प्रयास करते आये हैं। राज्य में पांचवे दशक में हुआ प्रजा परिषद का आन्दोलन राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। डा. अग्निहोत्री ने जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानी में इतना कुछ कह दिया है कि पढ़ने वाले की आंखें खुल जाती हैं। प्रजा परिषद के आन्दोलन के बारे में जो झूठा प्रचार किया जाता रहा है उसका उत्तर देने में यह पुस्तक सफल हुई है। इसने राज्य की राजनीति के अन्धेरे कोनों को प्रकाशित करने और वास्तविकता को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है।

यह पुस्तक केवल केवल साधारण पाठकों, जिन्हें इस कहानी की जानकारी नहीं है, के लिये ही पठनीय नहीं है बल्कि उनके लिये भी जो अपने आप को जम्मू-कश्मीर समस्या का विशेषज्ञ मानते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि तथाकथित जम्मू कश्मीर विशेषज्ञ अभी तक भी केवल कश्मीर घाटी को पूरा राज्य मान कर समाधान की तलाश में हलकान हो रहे हैं। स्वयं को उदार व सैकुलरवादी कहने वालों के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये ताकि उनका समस्या के दूसरे पहलू से भी साक्षात्कार हो सके। हमारे बुद्धिजीवियों की त्रासदी यही है कि वह दम्भपूर्वक अपने आपको सदा सही और दूसरों को सदा ग़लत मानते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। इस पुस्तक को पढ़कर उनकी यह ग़लतफहमी दूर हो जायेगी।

इस पुस्तक में प्रजा परिषद का इतिहास कुछ सुनी-सुनाई बातों का संग्रह नहीं है। लेखक ने सब तथ्य व वर्णन साक्ष्य व सन्दर्भ सहित उद्धृत किये हैं। प्रजा परिषद के आन्दोलन का शायद पहली बार समाज विज्ञान की शोध पद्धति से समग्र विश्लेषण किया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रामाणिक साहित्य की कमी को कुछ सीमा तक पूरा कर सकता है। जम्मू-कश्मीर की समस्या को सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत कर लेखक ने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की है।

लेखक के अनुसार उन्होंने 'कछुये की चाल' से काम करते हुये इस पुस्तक को पूरा करने में पांच वर्ष लगा दिये। पर उनका यह परिश्रम जम्मू कश्मीर के इतिहास के असन्तुलन को सन्तुलित करने में सफल हुआ है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यह तथ्य तो अब छिपा नहीं रह गया है कि जम्मू-कश्मीर की समस्या की जड़ ही देश के तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू थे जिन्होंने उस समय के गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाई पटेल से इस समस्या को हल करने का काम छीन कर अपने हाथ में ले लिया। श्री पटेल ने तो चाणक्य नीति के साम

दाम दण्ड भेद के सभी हथियार बरतते हुये रियासतों की सारी समस्यायें सुलझा लीं थी। नेहरू ने इस एक ही समस्या सुलझाने का जिम्मा उठाया और उल्टा उसे उलझा दिया। वही आज तक नासूर बन कर राष्ट्र को लहुलुहान कर रही है। तीन युद्धों और हज़ारों सैनिकों व नागरिकों की बलि चढ़ाने के बाद भी यह समस्या तस की तस बनी हुई है।

शेख अब्दुल्ला ने प्रजा परिषद व उसके नेता पं0 प्रेम नाथ डोगरा के बारे पं0 नेहरू के कान इतने भर दिये थे कि वे और किसी की बात सुनने को कभी तैय्यार न हुये। वे तो बस सदा शेख की बात ही दोहराते थे। जब भी कोई कश्मीर समस्या या शेख अब्दुल्ला के बारे कुछ लिखता या कहता तो पं0 नेहरू का दम्भ भरा एक ही उत्तर होता था: ''कश्मीर के बारे मुझ से अधिक कोई नहीं जानता''। यही दम्भ उन्हें और देश को ले डूबा। अन्ततः उन्हें मानना पड़ा कि वे न तो शेख अब्दुल्ला को पहचान पाये और न ही नैशनल कान्फ्रेंस को। यही कारण था कि अन्ततः पंडित नेहरु को शेख को सत्ता से अपदस्थ ही नहीं करना पड़ा बल्कि उसे राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिये गिरफ्तार भी करना पड़ा।

हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के साथ अधिमिलन से इनकार कर दिया था और निर्णय लिया कि वह पाकिस्तान के साथ मिलेगा। उसने भारतीय अधिकारियों व पुलिस पर हमला भी बोला। मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठाना चाहा। जब भारत ने जवाबी कार्यवाही की तो निज़ाम के पास आत्मसमर्पण के सिवाय कोई रास्ता न बचा और अन्ततः उसने अधिमिलन के इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिये। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसे तो अपनी ही हैदराबाद रियासत का राज प्रमुख यानी शासक-राज्यपाल बना दिया। पर पण्डित नेहरू की न्यायप्रियता की पराकाष्ठा और विडम्बना देखिये कि जिस जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने लार्ड माऊंटबेटन व जिन्ना के सभी दबावों को नकारते हुये पाकिस्तान में शामिल होने से इन्कार कर दिया, उसे अपने राज्य से ही निर्वासित कर दिया। इसे नेहरु का हरि सिंह से प्रतिशोध ही कहना होगा क्योंकि जब भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व एक बार नेहरू शेख अब्दुल्ला की सहायता के लिये कश्मीर जाना चाहते थे तो महाराजा ने उनको राज्य के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक रियासतों में भी राजाओं-महाराजाओं के विरुद्ध आन्दोलन चल रहे थे। पर जब 1947 के बाद इन्हीं राजाओं ने अपनी रियासत का भारत के साथ अधिमिलन कर दिया तो वहां भी नई शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक ढंग से ही प्रस्थापित की गई, पर पता नहीं पण्डित नेहरू की क्या कमज़ोरी थी या मेहरबानी कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इसे विडम्बना ही कहना होगा कि जब भी कश्मीर समस्या की चर्चा होती है तो भारत सरकार केवल छोटी सी कश्मीर घाटी को ही पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य मान लेती है। केवल सरकार ही नहीं बल्कि कश्मीर समस्या के तथाकथित विद्वान भी। जम्मू व लद्दाख का तो कोई नाम ही नहीं लेता। शायद इसी लिये कि वह हिन्दु व बौद्ध बहुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की शेख अब्दुल्ला के समय भी अनदेखी की जाती थी और आज भी। उन्हें शायद इस बात की सज़ा दी जाती है कि ये क्षेत्र सदा ही जम्मू-कश्मीर राज्य में पाकिस्तान की दखलन्दाजी का विरोध करते रहे जिसके लिये उन्होंने यातनाएं भी झेली। कश्मीर क्षेत्र की तरह इन के मन में कभी राष्ट्र विरोधी भाव नहीं रहा। इसके विपरीत जम्मू व लद्दाख के लोग प्रजा परिषद के झण्डे तले राष्ट्रहित की बात करने के कारण उन्हें ''साम्प्रदायिक, देशद्रोही व पाकिस्तान के समर्थक'' तक बताया जाता रहा। डा. अग्निहोत्री ने सही कहा है कि केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर में जम्मू वासियों, लद्दाखवासियों, गुज्जर व बक्करवाल समाज, शिया समाज, जनजाति समाज, पहाड़ी समाज को नकार कर घाटी में कश्मीरी बोलने वाले मुसलमानों को ही पूरा राज्य मान बैठी है, जिसके कारण अनेक समस्याएँ पेश हो रही है।

जम्मू को कभी उचित व पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। संविधान सभा में प्रतिनिधि शेख व उसकी नेशनल कान्फ्रेंस के ही मनोनीत व्यक्ति थे जो जम्मू व लद्दाख की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न कर, केवल शेख ही के प्रतिनिधि हो कर शेख ही के हितों की रक्षा करते थे।

देशवासियों ने कहर व उत्पीड़न के अनगिनत किस्से सुने और पढ़ें हैं कि किय प्रकार अंग्रेज़ों ने उन राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता सेनानियों पर जुल्म ढाये जो हाथ में तिरंगा लेकर वन्दे मातरम् का गान करते हुये अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आह्वान कर रहे थे। पर इसे विडम्बना ही कहना होगा कि स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद भी शेख अब्दुल्ला के शासनकाल में प्रजा परिषद के उन कार्यकताओं और नेताओं पर लाठियां बरसाई गईं, गोलियां चलाई गईं जो अपने हाथ में राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद की फोटो लेकर राज्य के सरकारी व

अन्य भवनों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की चेष्टा कर रहे थे। सबसे बड़ी त्रासदी यह कि शेख को इस काम में नेहरु का वरदहस्त प्राप्त था।

31 जनवरी 1953 को हीरानगर में पुलिस ने सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। दो प्रदर्शनकारी शहीद हुये। रावी नदी के किनारे बसन्तपुर में उनके शवों पर दो बोतल पैट्रोल छिड़क कर पुलिस अधजला ही छोड़ कर चली गई। ऐसा तो शायद विदेशी शासक अंग्रेज़ ने भी नहीं किया।

पण्डित नेहरू के कश्मीर में प्रवेश करने पर तो तब प्रतिबन्ध लगाया गया था और उन्हें वहां जाने पर तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का ही एक-छत्र राज था। पर क्या विडम्बना है कि भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो तब कश्मीर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था जब कश्मीर स्वतन्त्र भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। उन्हें उचित व समुचित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं की गई और वह स्वतन्त्र भारत के प्रथम शहीद बन गये। आज तक न उनकी चीज़ें ही लौटाई गई हैं और न कोई जांच ही बिठाई जिससे पता चल सके कि उनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और इस कोताही के लिये कौन जिम्मेदार था?

पिछले दो एक साल से कश्मीर में पत्थरबाज़ बहुत चर्चा में रहे हैं। अनेकों पकड़े भी गये जिन्होंने हमारे पुलिस व सेना के जवानों को गम्भीर रूप से ज़ख्मी भी किया। पर उनके लिये नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बड़ी सहानुभूति रखती है और उनके गुनाहों को वह अपराध नहीं समझती। बहुतों को पुलिस मे भर्ती कर दिया गया। अन्य को सरकारी नौकरियां दी गईं। यह भी ध्यान रखना होगा कि यह पत्थरबाजी देश के विरोध में हो रही थी। पर इसी नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार ने, शेख के नेतृत्व में प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई, जब वे देश के पक्ष में नारे लगा रहे थे।

पुस्तक की छपाई, साज-सज्जा व प्रस्तुतीकरण उत्कृष्ट है। प्रूफ की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य अन्य प्रकाशनों के मुकाबले काफी कम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक पाठक इसे पढ़ें और अपनी भ्रान्तियां दूर कर सकें। जम्मू-कश्मीर में रुचि लेने वालों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ■

(समीक्षक : भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

पृष्ठ 15 का शेष...

जा रहा है। जबकि सच तो यह है कि यह आपका कर्त्तव्य है। आपने बिल में कहा कि किसानों के लिए आपको बड़ी हमदर्दी है। लेकिन हिन्दुस्तान में ढ़ाई हजार किसान हर रोज खेती छोड़ रहे हैं। मार्जिनल फार्मर डूब रहा है। उनकी आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उन्हें खेती का उचित दाम दे रहे हैं? क्या आप उन्हें ठीक से एमएसपी दे रहे हैं? हिन्दुस्तान में खेती का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घटती जा रहीं है। हिन्दुस्तान में आज हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का 15 परसेंट कंट्रीब्यूशन है। इसे देखते हुए तो 90 परसेंट हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का असर होना चाहिए। इस संबंध में कहा गया कि स्टोरेज बनाए जायेंगे। लेकिन स्टोरेज क्यों नहीं बना रहे? वेस्टेज क्यों हो रहा है? यह भी बताया गया है कि खाद्यान्नों के परिहवन और इसके लिए पर्याप्त संख्या में रैक उपलब्ध कराने पर कुछ प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये रैक्स कितने साल में बनेंगे, कौन कम्पनी बना रही है? जहां तक हेल्थ केयर का संबंध है हम जानते हैं कि हेल्थ केयर कैसी है। वैश्विक भूख सूचकांक में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या हिन्दुस्तान में 20 करोड़ बताई। 166 ग्राम अनाज प्रतिदिन में इस देश का कोई आदमी अपनी भूख नहीं मिटा सकता। देश जितना फूड सिक्योर है, उतने ही उसके बॉर्डर भी सिक्योर होंगे, उतने ही उनकी इकोनॉमी भी सिक्योर होगी, उतना ही उसका रुपया भी सिक्योर होगा। अगर आप फूड सिक्योरिटी शत-प्रतिशत लोगों को नहीं दे सकते, तो यह फूड सिक्योरिटी बिल महज़ कागजी रह जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, बजट में कितना प्रावधान करेंगे? आप बच्चों के लिए अक्ष्य पात्र योजना को क्यों नहीं स्वीकार करते? इस योजना के अंतर्गत आज दस लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं। इस तरफ ध्यान दीजिए कि आपके बिल में कितनी खामियां हैं। आप इस बिल को फिर से सुधारें, सुधारने के बाद फिर से लाएं। कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि आर्डिनेंस के मार्फत काम शुरू कर ही दिया है। आपको प्रचार का जितना लाभ लेना था, आप ले चुके हैं। ■

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी बैठक

'कांग्रेस है सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 01 सितम्बर, 2013 को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं इस सच्चाई को जानता हूं कि आप लोगों को इस समाज में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार कर यह धारणा बना दी है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलती है। मित्रों मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, मजहब, कौम की राजनीति नहीं करती। आजादी से पहले हिन्दुस्तान पर अग्रेंजों की हुकूमत थी। सन 1857 के पहले आजादी के आन्दोलन में बहादुर शाह जफर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। क्या उन्हें आजादी हासिल करने की ललक नहीं थी? उनको इतनी यातनाएं दी गईं कि उनकी जेल में ही मौत हो गई। मित्रों, आजादी दिलाने में सबका बराबर का सहयोग है। जब से हमारी पार्टी बनी है तभी से कांग्रेस द्वारा यह दुष्प्रचार किया जाता रहा है। मित्रों मेरे साथ आरिफ बेग साहब विराजमान है। इन्होंने पार्टी की खूब सेवा की है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केबिनेट मंत्री रहे, मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जी बैठे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और चुनाव समिति के सदस्य है। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारी पार्टी के नीति निर्धारण समीति के सदस्य है। क्या यह लोग पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नहीं है? क्या इनका भारतीय जनता पार्टी में मुख्य रोल में नहीं हैं?

मैं याद दिलाना चाहता हूं जो कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात कहती है वही सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस आज मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात करती है, मैं पूछता हूं कि आजादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस का शासन रहा है क्यों आज भी मुसलमान पिछड़े हुए है और कितना समय चाहिए आप लोगों को? ■

भाजपा, विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ कार्यकारिणी बैठक

यूपीए सरकार का बने रहना नुकसानदेह

भारतीय जनता पार्टी की विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 अगस्त 2013 को नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में दीप प्रज्जवलन के उपरांत स्वागत भाषण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय राघवेन्द्र सिंह ने दिया। राष्ट्रीय संयोजक ने सर्वप्रथम देशभर से आये हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए माननीय अरूण जेटली, नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) ने कहा कि वकील का आधार तर्क होता है। तर्क देकर स्पष्ट रूप से जनता की समस्या को जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आज से 7 माह पश्चात् देश में आम चुनाव है। देश में व्यापक रूप से सरकार विरोधी भावना उत्पन्न हो चुकी है। जनता में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है। इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के गुस्से के कारण ढूंढे और यह बताने की कोशिश करें कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। इस सरकार का बने रहना राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं सरकार का बदला जाना राष्ट्रहित में है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आतंकवादी अगर पकड़ा भी जाता है तो उस पर कार्यवाही न हो इसकी पूरी तनमयता से सरकार प्रयास करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत ही नहीं रहेगा तो बचेगा कौन? बंधुओं राष्ट्र की अस्मिता के विषय पर सरकार को कठोर रहना चाहिए। यही राष्ट्र नीति है और यही राजनीति भी।

कार्यक्रम में माननीय सतपाल जैन जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार को कहा कि सरकार राष्ट्र के विषय में समझौता न करें। सीमाओं की सुरक्षा केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

इस बैठक को श्रीमती पिंकी आनंद, श्री महेन्द्र पांडे, समन्वयक मोर्चा एवं प्रकोष्ठ ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन श्री बाला सुब्रहमण्यम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कार्यालय प्रभारी श्री राजेश सिंह ने किया। ■

भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ कार्यकारिणी बैठक

राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में कला-संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका

गत 30 अगस्त, 2013 को भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा केन्द्रीय कार्यालय 11, अशोक रोड में सम्पन्न हुई। पूरे देश से कला एवं संस्कृति से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ 15 राज्यों के संयोजकों और सह-संयोजकों ने इसमें भाग लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, डॉ मुरली मनोहर जोशी, श्री रामलाल जी, श्री जे.पी. नड्डा, श्री महेन्द्र पाण्डेय जी, डॉ सुधांशु त्रिवेदी, सुश्री वाणी त्रिपाठी समेत कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने देश भर से आये कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कला एवं संस्कृति को जन-जन तक पहुंचने का सशक्त माध्यम बताया। श्री राजनाथ सिंह ने प्रकोष्ठ से जुडे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से देशभर में छुपी हुई प्रतिभाओं को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कला एवं संस्कृति केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी सशक्त माध्यम होता है। यही नहीं संस्कृति हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा का मूल तत्व है। इसलिए कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने की है।

डॉ मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कला एवं संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है और इस दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है।

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी ने प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अल्पकालिक लक्ष्य के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में जुट जाने को कहा। इस बैठक को भाजपा मोर्चे एवं प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय समन्वयक श्री महेन्द्र पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री वाणी त्रिपाठी एवं कला व संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री मिथिलेश कुमार ने भी संबोधित किया। ■

भाजपा राष्ट्रीय प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित भाजपा प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजकों एवं सह संयोजकों के नामों की घोषणा की है-

क्र.सं.	प्रकोष्ठ का नाम	संयोजक	सह-संयोजक
1.	बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ	श्री बालाशंकर	श्री विजय क्रांति, दिल्ली
			श्री मुकेश मिश्रा, दिल्ली
2.	लोकल बॉडी		श्री आशुतोष वार्ष्णेय, उ.प्र.
			श्रीमती कृष्णा गौर, म.प्र.
			श्री अजयभाई चौकसी, गुजरात
			श्री दया शंकर तिवारी, महाराष्ट्र
			श्री महेश शर्मा, दिल्ली
3.	गौ-विकास		श्री जय भगवान अग्रवाल, दिल्ली
			श्री राजेन्द्र सिंह पुरोहित, राजस्थान
			श्री बनवारी लाल यादव, उ.प्र.
4.	शिक्षक		श्री सूर्यभान पाण्डेय, दिल्ली
			श्री गणेश कार्णिक, कर्नाटक
5.	गंगा		श्री कामेश्वर चौपाल, बिहार
			श्री प्रेम अग्रवाल, उत्तराखण्ड
			श्री वीरेन्द्र जुआल, दिल्ली
6.	उद्योग		श्री त्रिविक्रम जोशी, कर्नाटक
7.	उत्तर-पूर्व सम्पर्क		श्री राजेन्द्र सिंह चंदेल, म.प्र.
8.	संवाद		श्री रमन मलिक, हरियाणा
9.	कुटीर उद्योग		श्री मनमोहन गुप्ता, हरियाणा
10.	मानवाधिकार		श्री शैलेन्द्र ठाकुर, उ.प्र.
11.	सहयोग		श्री चन्द्रशेखर राय, दिल्ली

पूर्वोत्तर भारत सम्पर्क प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

'पहले मन को बदलो, फिर उसको मत में बदलो'

भाजपा पूर्वोत्तर भारत सम्पर्क प्रकोष्ठ की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1.9.2013 को नई दिल्ली के मुख्यालय में सम्पन्न हुई।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एस.एस. अहलूवालिया ने कार्यकारिणी का उद्घाटन किया तथा मिजोरम राज्य के भाजपा प्रभारी श्री नलिन कोहली ने समापन भाषण दिया। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुनील देवधर ने बैठक की अध्यक्षता की।

अपने उद्घाटन भाषण के देशभर से आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए श्री अहलूवालिया ने कहा कि आज आवश्यकता है कि लोगों को पूर्वोत्तर के प्रति अपना रवैय्या बदले और इससे वहां के लोगों की कायापलट की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देने और उनका समाधान करने की जरूरत है और भाजपा पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ में इसमें अपनी गहन भूमिका निभा सकता है। श्री अहलूवालिया का यह भी कहना था कि पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने के लिए पहले वहां के लोगों के जनमानस को बदलना होगा और फिर इस बदले मस्तिष्क से वहां के लोगों को भाजपा के लिए वोट देने में परिवर्तित कर पार्टी का हित साधा जाए। 'पहले मन को बदलो, फिर उसको मत में बदलो'- इस नारे को अहलूवालिया जी ने पूर्वोत्तर भारत सम्पर्क प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को देखकर उनका उत्साह बढ़ाया।

अभिनन्दन

श्री अहलूवालिया ने इस सत्र में असम के श्री दीपक कुमार बोरथकर को 'कर्मयोगी एवार्ड' प्रदान कर उनका अभिनन्दन किया।

समापन सत्र

मिजोरम राज्य के प्रभारी श्री नलिन कोहली ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर और शेष भारत के लोगों के बीच निरन्तर संवाद की नियमित प्रक्रिया जारी रखना बेहद आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय अखण्डता स्थापित हो सके।

पूरे देश के प्रतिनिधियों ने विगत अवधि के किए गए काम की रूपरेखा प्रस्तुत की। अन्त में डॉ. राजेन्द्र सिंह चन्देल के प्रति आभार प्रगट किया गया, जो अभी हाल में प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह-संयोजक नियुक्त हुए हैं। ■

जनसंवाद उप-समिति का गठन

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का 'मिशन 2014'' जनता का अपना एक अभियान है। 'कांग्रेस मुक्त भारत' बनाने के इस अभियान की सफलता आम जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। मिशन 2014 के तहत भाजपा ने केन्द्रीय अभियान समिति, जिसकी अध्यक्षता श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात कर रहे हैं, विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है। 'जनसंवाद' एक पृथक उप-समिति है, जिसका उद्देश्य मिशन 2014 में जनता की भागीदारी बढ़ाना है।

'जनसंवाद' उप-समिति के सदस्यों में श्री धर्मेन्द्र प्रधान (राष्ट्रीय पार्टी महासचिव एवं सांसद), श्री रामेश्वर प्रसाद चौरसिया (विधायक-बिहार विधान सभा एवं सह-प्रभारी-उत्तर प्रदेश), श्री मनोहर लाल खट्टर, (राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य), और श्री नलिन एस कोहली (राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य एवं प्रभारी-मिजोरम) शामिल हैं।

'जनसंवाद' अपनी गतिविधियां आरम्भ कर चुका है और पहले चरण में इसकी वेब पोर्टल www.jansamvad 2014.in की शुरुआत की जा चुकी है। इस अभियान के बारे में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, '' 'जनसंवाद' लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रजातांत्रिक माध्यम है। आने वाले कुछ हितों के भीतर यह आम जनता और भाजपा नेतृत्व के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए एक सक्रिय साझा मंच का कार्य करेगा।'' ■